

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम शमपुरा देव के खाला सं. 57 खसरा नं. 473/405, 476/416 में आवेदन पत्र अनुसार नाथ्या के बजाय नाथूलाल शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केमप FERC ग्राम पंचायत मान्दी में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

26/5/25  
अधिकारी  
फागी, जयपुर